न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 127 / 2024

प्रार्थी :–
सुमन कंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री बी.एस.सोढा अधिवक्ता।
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ।

निर्णय **दिनांक :–** 27/11/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 53 / 3 रकबा 1.0274 हैक्टयर आई हुई है। जो प्रार्थीया की खातेदारी की खरीदसुदा व कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि है। वजह सबूत जमाबंदी संवत 2044 से 2047 तक की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। खसरा नंबर 53 / 3 रकबा 1.0274 हैक्टयर प्रार्थीया ने श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव से जरिये रजिस्ट्री बैचान दिनांक 05.08.2008 को खरीद की गयी थी। मगर राजस्व कर्मचारी की भूल के कारण उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीया सुमन कंवर के नाम से नहीं भर कर सुगन कंवर के नाम से राजस्व रेकर्ड में गलत भर दिया गया था जबकि प्रार्थीया के तमाम दस्तावेजात शुरू से ही सुमन कंवर के नाम से बने हुए है।तथा रजिस्ट्री भी प्रार्थी के सुमन कंवर के हक में हो रखी है। यानि सुगन कंवर कही पर भी नाम दर्ज नहीं था बावजूद तत्कालीन हल्का पटवारी की भूल के कारण उक्त खसरे की भूमि का राजस्व रेकर्ड में बैचान के आधार पर सुमन कंवर के नाम से नहीं भर कर सुगन कंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा के नाम से गलत दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 53 / 3 रकबा 1.0274 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अप्रार्थी द्वारा त्रुटिवंश सुमन कंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव गलत दर्ज किये गये त्रुटि को दुरस्त कर सुमन कंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव की चालू जमाबंदी के खाता सं. 1610 में खसरा नंबर 53/3 रकबा 1.0274 हैक्टयर किस्म बा.द्वितीय सुगनकंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है। वादीया का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम नामा.सं. 2993 बैचान निर्णीत दिनांक 19.08.2008 के जरिये सुरेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह कौम राजपूत के स्थान पर सुमनकंवर पत्नी लालसिंह दर्ज हुआ। परन्तु उक्त नामा. का जमाबंदी में अमलदरामद करते समय त्रुटिवश सुमनकंवर के स्थान पर सुगनकंवर दर्ज हो गया जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सरकारी/निजी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधारकार्ड, पहचान पत्र, बैचाननामा इत्यादि में प्रार्थी का नाम सुमनकंवर पत्नी लालसिंह दर्ज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रणसीगांव के खसरा नंबर 53/3 रकबा 1.0274 हैक्टयर में दर्ज प्रविष्टी सुगनकवंर पत्नी लालसिंह के स्थान पर सुमनकंवर पत्नी लालसिंह की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खसरा नंबर 53/3 रकबा 1.0274 हैक्टयर प्रार्थीया का नाम सुगनकंवर पत्नी लालसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रणसीगांव के खसरा नंबर 53/3 रकबा 1.0274 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर रेकर्डेड खातेदार प्रार्थीया का नाम सुगनकंवर पत्नी लालसिंह के स्थान पर सुमनकंवर पत्नी लालसिंह किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा